

27/7/18
31/07/18

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:डीजी-दो/अ-55(पासपोर्ट निर्देश)2018

दिनांक: लखनऊ :जुलाई 27, 2018

सेवा में,

- 1-समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2-समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 3-समस्त पुलिस महानीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
- 4-समस्त पुलिस उपमहानीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
- 5-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

कृपया इस मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पी0पी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों यथा अपर पुलिस अधीक्षककों/पुलिस उपाधीक्षकों द्वारा पासपोर्ट बनवाने हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुरोध के साथ शासनादेश संख्या-1611/का-3-1980/19/25/80 दिनांक 4-8-1980 के अनुसार कतिपय आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं जो नियमान्तर्गत नहीं है ।

2- कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे पासपोर्ट बनवाने हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु शासनादेश संख्या-1611/का-3-1980/19/25/80 दिनांक 4-8-1980 के अनुरूप निर्धारित बिन्दुओं पर वॉछित सूचनाएँ/शपथ पत्र सहित उपलब्ध करायें । संगत शासनादेश में वर्णित बिन्दुओं/उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनाओं का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

3- यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि जनपदीय पी0पी0एस0 अधिकारियों के आवेदन पत्रों पर जोनल अपर पुलिस महानिदेशक तथा अजनपदीय शाखाओं में नियुक्त पी0पी0एस0 अधिकारियों के आवेदन पत्रों पर इकाई/संगठन प्रमुख की टिप्पणी/संस्तुति आवश्यक है ।

4- इस पत्र को संलग्नक सहित उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड कराया जा रहा है कि कृपया तदनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

(W0 संलग्नकःयथोपरि । वैवाहिक)

27.7.18

(एच0आर0 शर्मा)

अपर पुलिस महानिदेशक(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश।

S.P.(A) ✓ प्रतिलिपि उपनिदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, महानगर लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि
इस पत्र को संलग्नक सहित उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
संलग्नक-यथोपरि ।

पार्सपोर्ट बनवाने हेतु शासनादेश संख्या-1611/का-3-1980/19/25/80 दिनोंक 4-8-1980 के अनुसार उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनाएँ ।

- 1- अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सतर्कता एवं विभागीय जॉच तो नहीं चल रही है।
- 2- सम्बन्धित सरकारी सेवक के विदेश जाने से केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के समक्ष किसी प्रकार की असामंजस्य की स्थिति तो नहीं उत्पन्न हो सकती है।
- 3- उक्त सरकारी सेवक इसके पूर्व कब तथा किस उद्देश्य से विदेश यात्रा पर गए थे तथा कभी पूर्व में उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र की मनाही तो नहीं हुई है ।
- 4- पार्सपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6(2) के अनुसार बिन्दु A से H तक आव्या ।
- 5- संलग्न ANNEXURE "I" में AFFIDAVIT
- 6- नवीनतम पासपोर्ट साईज के तीन फोटो ।

संलग्नक- ANNEXURE "I"